

***** दहेज निषेध कानूनके ६० साल : एक दृष्टिपात *****

दहेज जैसे रिवाजकी दृष्ट प्रथाको जड़से उखाड़नेकेलिए और बेगुनाह शादीशुदा महिलाओंपर होते दुर्व्यवहार तथा दहेजबली रोखनेके लिए ६० साल पहले " दहेज निषेध कानून १९६१ " पारित किया गया था. इस कानूनको राष्ट्रपती द्वारा अनुमति मिली २० मार्च १९६१ इस दिन, लेकिन यह कानून १ जुलाई १९६१ को लागू किया गया. १ जुलाई १९६१ की तारीख इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इस दिनके बादही दहेजके लेन देन को कानूनन अपराध या गुनाह माना जाएगा, १ जुलाई १९६१ से पहले यदि दहेज लिया तथा दिया गया हो तब यह कानून लागू नहीं होता, भले विवाह १ जुलाई १९६१ के बाद हुआ हो. इस साल १ जुलाई २०२१ को दहेज निषेध कानूनके ६० साल पुरे हो रहे हैं. फिर भी ऐतिहासिक घटनाओंका गौर करे तो २५० साल पूर्व, लोकप्रिय तथा मशहूर राज्यकर्ता रानी अहिल्याबाई होळकर द्वारा उनके राज्यमे, मालवा प्रांतमे दहेज विरोधी कानून लागू किया गया था. उन्होंने दहेज लेने और देनेवालोंको सजा भी सुनाई थी. इसका मतलब दहेज प्रथा शतकों पुरानी परंपरा मानी जाती है.

लेकिन आज इक्कीसवी सदीमें भी दहेजकी कुप्रथा, गलत रिवाज पूरी तरहसे नष्ट नहीं हुआ है. इस रूढिके कारण अनेकों परिवार तबाह हुए, हजारो निरपराध महिलाओंने अपनी जाने गवायी. यह विनाश आज भी हो रहा है.और भविष्यमें भी होता रहेगा.क्यों की यह कानून कितना भी कठोर क्यों न हो निष्प्रभ साबित होता है. वर्तमान स्थितीमें महाराष्ट्रमें, जिस राज्य को आधुनिक विचारधारावाला पथदर्शी राज्य समझा जाता है, हर साल औसतन दो सौ से अधिक दहेजके मृत्यु दर्ज किये जाते है. जानकारी अधिकार अधिनियम कानून के तहत प्राप्त आँकड़े बताते है की राज्यमे २०१६-१७ सालमें २४८, २०१७-१८ सालमें २३४ तथा २०१८-१९ सालमें २१४ दहेजके कारण हुए महिलाओंके मृत्यु दर्ज किये गए . समाजमे ऐसी धारणा है की आधुनिक और उच्च शिक्षा के प्रसारके साथ दहेज प्रथा कम होती दिखाई देती है. आज-कल कोई दहेजकी माँग नहीं रखता. लेकिन यह सरासर गलत धारणा है. लगभग ३५ साल पहलेभी दहेजकेलिए हुए मौतोंके आँकड़े हरसाल बढ़ते दिखाई दिए थे. भारत सरकारने जारी किये जानकारीमें १९८५ से १९८८ इन चार सालोंमे ३७०, ४५१, ७९२, तथा ९२२ इस तरह मौते बढ़ती रही.

एक और धारणा समाजमें प्रचलित है की पढ़े लिखे परिवारोंमें तथा बड़े बड़े शहरोंमें जहाँ महिलाएँ पुरुषोंके समान घरसे बाहर निकलकर अर्थार्जन करती है, वहाँ इस तरह दहेजकेलिए जान गवानेकी नौबत नहीं आती होगी. परन्तु ऐसी धारणाएँ गलत साबित करनेवाले रिपोर्ट प्रकाशित हुए है. बम्बई जैसे महानगरमें जिसे देशकी आर्थिक राजधानी कहा जाता है, २०१८ सालके पहले दस महीनोंमें कुल २६ महिलाओंकी मौते दहेजके कारण हुई. इसमें २ हत्याएँ, १६ आत्महत्याएँ, और ८ संदेहजनक मृत्यु ऐसा वर्गीकरण किया गया है. इसके अलावा दहेजकेलिए प्रताड़ित करना, दुर्व्यवहार करनेकी ४२१ शिकायतके मामले दर्ज हुए. ३ मई २०१६ को भेजे संदेशमें महामहिम राज्यपाल ने कहा की भारतमें २०१२ से २०१४ इन दो सालमें २४७७१ (चोबीस हजार सात सौ ईकत्तर) महिलाओंके मृत्यु दहेजके कारण हुए है. इन आकड़ोंसे यही साबित होता है की क़ानून कीतनाही सख्त क्यों न हो, दहेजके लिए महिलाओंकी मानहानि, दुर्व्यवहार और मृत्यु के मामले दिन-ब- दिन लगातार बढ़ रहे है.

इस कानूनमें " दहेज़ " शब्दकी व्यापक परिभाषा की गयी है. विवाह के समय माँगा गया आर्थिक लाभ " दहेज़ " समझा जाएगा. सिर्फ़ इतनाही नहीं विवाहके पश्चात किसीभी समय कभी भी धन तथा जायदाद की माँग करना मतलब दहेज़ की माँग समझा जाएगा.

भारतके संविधानमें स्त्री पुरुष समानताके मुलतत्त्वोंका पुरस्कार किया गया है. फिर भी शादीके समय केवल लड़कीवालोंको और लड़कीको ही जरूरतमंद समझा जाता है. वैसे तो विवाहकी जरूरत लड़का और लड़की दोनोंको होती है. मगर दुल्हेको ही श्रेष्ठ समजनेका रिवाज है. विवाहका खर्चा, कीमती जेवरात. कपड़े, तोहफे, संपत्ति, जायदादमें हिस्सेकी माँग, इस रूपमें वधुपितासे दहेज़ वसूला जाता है. इस तरह दहेजकी माँग करनेवालोंको इस कानूनमें कड़ी सजा देनेका आदेश है. पाँच साल कारावास तथा पंद्रह हजार रुपयोंका जुर्माना और यदि दहेजका मूल्य पंद्रह हजारसे ज्यादा हो तो उसके अनुसार बढ़ाकर यथोचित जुर्माना देनेका भी आदेश है.

इसके अतिरिक्त शादिकेलिए जायदादका हिस्सा या कारोबारमें भागीदारी की शर्त रखना मना है. और इस मनाइके नियमका उल्लंघन करना अपराध है. इस अपराधकेलिए कमसे कम छे महीनेकी कारावासकी सजाका आदेश है.

इसके साथ शादीके किसीभी विज्ञापनसे यदि दहेजकी माँग का छुपा मतलब प्रतित होता हो तब उस विज्ञापनका प्रकाशित होना गुनाह माना जाएगा, साबित होनेके बाद विज्ञापन देनेवालेको तथा प्रकाशित करनेवालेको पाँच सालके कारावास की सजा और पंद्रह हजार रुपयोंका जुर्माना देनेका आदेश है.

यदि विवाहकेसमय दहेज लिया गया हो तो दहेजकी संपूर्ण राशि तथा संपत्ति, जायदाद उस विवाहित कन्याके कब्जेमें या अधिकारमें होगी, जिसके शादीमें दहेज प्राप्त हुवा हो. उस विवाहिताके अलावा किसी और का अधिकार दहेजपर नहीं होगा. जिस व्यक्तिने दहेज स्वीकार किया हो उसने दहेजकी संपूर्ण राशि उस विवाहिताकेँ हवाले कर देनी अनिवार्य है, ऐसा न करनेपर उस व्यक्तिको दो सालका कारावास तथा दस हजार रुपयोंका जुर्माना करनेका आदेश है. आगे कानून कहता है की यदि दहेजकी राशि वापस मिलनेसे पहले उस विवाहित महिलाकी मृत्यु हो जाती है तो उसके कानूनी वारिस को दहेजकी संपूर्ण राशि दी जाएगी.

यह कानून फौजदारी कानून होनी की वजहसे दोषारोपण साबित करने हेतु सिद्धांत दीवानी कांउनसे अधिक सख्त होते है. इस कानूनके तहत दर्ज किया गया गुनाह संज्ञेय अपराध (*cognizable offence*), अजमानती अपराध या जमानतके लिए अयोग्य (*non-bailable offence*) होता है. दोषिको किसीभी हालतमें जमानत मंजूर नहीं की जाती. ऐसे स्पष्ट निर्देश कानूनमें प्रविष्ट है. इसके साथ, मुकदमा दर्ज करनेके बाद अदालतके बाहर साँठ - गाँठ करके समझोता करनेकी इजाजत नहीं है. (*non-compoundable*). अदालतही फैसला सुनाएगी.

और एक विशेष आदेश इस कानूनके तहत किया गया है. जिस व्यक्तिपर दहेज लेनेका दोषारोपन किया गया है उसी दोषिपर स्पष्ट सबूत देकर यह साबित करनेकी जिम्मेदारी है की उसने दहेज नहीं लिया और उसने गुनाह नहीं किया. इस विशेष नियामकों (*Strict Liability*) कहा जाता है.

एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटक यह है की इस कानूनकी वजह भारतीय दंड विधान (*Indian Penal Code*) तथा भारतीय प्रमाण कानून (*Indian Evidence Act*) इन दोनोंमें आवश्यक सुधार किये गए. इस संशोधनके कारण दहेज निषेध कानून १९६१ अधिक सख्त प्रतीत होता है. सर्वप्रथम भारतीय दंड विधानके धारा ३०४ ब इस कानूनमें सम्मिलित की गयी. इस धारामें " दहेज मृत्यु " (*Dowry Death*) की परिभाषा है. जब किसी विवाहिताकी मौत जलनेसे या शारीरिक क्षति की वजहसे असाधारण परिस्थितिमें, विवाहके पश्चात सात साल के अंदर होती है और पती या ससुरालवालोंने उसका घोर उत्पीड़न किया हो तब इस मृत्यु को " दहेज बलि " (*Dowry Death*) करार कर दिया जाएगा, माना जाएगा. इस स्थितिमें फिर्मादिको गुनाह साबित करनेकी जरूरत नहीं है. दोषिको ही खुद निर्दोष होनेका सबूत प्रस्तुत करना होगा. गुनाह साबित होनेपर दोषिको कम से कम सात साल का कारावास और अधिकतम आजीवन कारावासकी सजा देनेका आदेश है.

दूसरे घटक में भारतीय दंड विधानकी धारा ४९८ अ में " उत्पीड़न " की परिभाषा बताई गई है. इसके तहत यदि कोई विवाहिता उत्पीड़नके कारण खुदकुशी करती है और उत्पीड़न साबित होता है तब उत्पीड़न करनेवालोंको तीन साल का कारावास और जुर्माना मुकर्रर करनेका आदेश इस धारामें दिया गया है.

तीसरे घटक में भारतीय प्रमाण कानून की धारा ११३ अ और ११४ ब के अनुसार विवाहिताकी मृत्यु विवाहके पश्चात सात सालके अंदर उत्पीड़नकी वजहसे या खुदकुशी की वजहसे हुई है ऐसा प्रमाणित किया गया तो इस स्थितिमें दोषिको भारतीय दंड विधानकी धारा ३०६ के अनुसार दस सालके कारावासकी सजा और साथमे जुर्माना देनेका आदेश है.

१९६१ के बाद दो बार दहेज निषेध कानूनमें संशोधन किया गया. इस सुधारसे दहेज की परिभाषा अधिक व्यापक और कानून अधिक सख्त किया गया. प्रथम सुधार १९८४ में हुआ. इसमें सिर्फ एक शब्द का सुधार था. " उद्देश्य या प्रयोजन " के जगह " संबंध या संलग्न " शब्द समाविष्ट किया गया. संक्षेपमें इसका मतलब " शादीका उद्देश्य या प्रयोजन रखकर की गयी दहेजकी लेन देन " इसके जगह " शादीके संबंधमें की गयी दहेजकी लेन देन " ऐसा स्पष्टीकरण समाविष्ट किया गया.

१९८६ में किया गया दुसरा सुधार भी महत्वपूर्ण माना गया. इस सुधार के अनुसार " विवाह पश्चात " इस शब्दके बाद " कभी भी " यह शब्द जोड़ा गया. संक्षेपमें विवाह पश्चात कभी भी दहेजका मामला दर्ज करनेकी अनुमति होगी. इसलिए समयकी कोई पाबंदी नहीं होगी.

इन दो सुधारके बाद भी विशेषज्ञकी राय नुसार गुनाह साबित करना मुमकिन नहीं. कारण समाजकी मनोवृत्ति, समाजकी विचारधारा ! असहाय लाचार पिता बेटीके सुखके लिए, बेटिका ससुरालमें उत्पीड़न न हो इसलिए इस कानूनका इस्तेमाल कभी नहीं करेगा, भारतीय समाजमें बेटीकी शादी करा देना अनिवार्य है. लड़कीके जीवनमें सिर्फ और सिर्फ विवाह यही एक अंतिम लक्ष्य है, एकमेव उद्देश्य है. लड़की तो एक चीज वास्तु है जो कन्यादानमें दामादको दी जाती है. पिता पृथ्वी दानका पुण्य पानेकी लालचसे कन्यादानमें अपनीही बेटिका इस्तेमाल करता है. और उपरसे दामादको दहेज भी भेट चढ़ाता है. ये दुष्टचक्र दुनियाका दस्तूर है, जो आज इक्कीसवीं सदीमें भी नहीं बदला.

दहेज निषेध कानून इतना सख्त होते हुए भी कानूनका कार्यान्वयन प्रभावी न होनेकी वजहसे दहेजकी कुप्रथाका दमन नहीं हो पाता. और दहेजकी मौते कम नहीं होती. कानून इतना कठोर होते हुए भी निष्प्रभ साबित होनेके अनेक कारण हैं.

(१) दहेज प्रतिरोधी पदाधिकारी नियुक्त करनेके प्रबंध आदेश कानूनमें दिए गए हैं, लेकिन अधिकतर जिलोंमें इन पदाधिकारीओंकी नियुक्ति सिर्फ कागजपर है. और जो नियुक्त हैं उन्हें अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्यका एहसास भी नहीं.

(२) दहेजके जितने भी मामले दर्ज हुए उनमेंसे जिन मामलोंमें तहकीकात, पुछताछ करनेमें जानबुझकर टाल-मटोल करनेवाले पदाधिकारी तथा कर्मचारियोंपर कार्यवाही करने हेतु स्पष्ट आदेश दहेज विरोधी कानूनमें दिये गए हैं। सूचना अधिकार कानून के (under Right to Information Act 2005) अंतर्गत प्राप्त जानकारीसे प्रतीत होता है, की इस बारेमें सरकारके दफ्तरमें कोई जानकारी नहीं है।

(३) दहेजके कुल मामलोंमें ८६ प्रतिशत दोषी गुनहगार सबुतोंके अभावके कारण निर्दोष छूट जाते हैं। कानूनको इन्साफ करनेकेलिए सबुतोंकी जरूरत होती है। सबुतोंके अभावमें अपराध सिद्ध नहीं होता। साबुत और गवाह इकट्ठा करके, उन्हें नष्ट होनेसे बचाना प्रशासनका आद्य कर्तव्य है। लेकिन दुर्भाग्यवश प्रशासन इस ज़िम्मेदारीमे कम पड़ता दिखाई देता है।

(४) सुप्रीम कोर्टने केन्द्र तथा राज्य सरकारोंको समय समयपर दिये गए आदेशोंका अनुपालन प्रशासनसे न होनेके कारण अपेक्षित परिणाम नजर नहीं आते।

(५) अनेक सालोंका प्रयास जारी रखने के बाद, अंतिमतः महाराष्ट्र सरकारकी तरफसे इस कानूनके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु एक परिपत्रक २८ जुलाई २००६ को जारी किया गया। इस विषयमें सुप्रीम कोर्ट के आदेशोंको मद्यनजर रखते हुए प्रशासनके सारे विभाग, जिलाधीश, तथा विश्वविद्यालयोंको सूचित किया गया। इसमें २६ नवंबर का दिन "दहेज विरोधी दिन" मनाने और इसके उपलक्षमें सप्ताहभर विशेष अभियान चलानेके आदेश दिए गए। लेकिन दुर्भाग्यवश सारे आदेश सिर्फ फाईलोंतक और कागजपर सिमित रह गए। मुद्दा महिलाओंकी सुरक्षाका होनेके कारण उसे नजरअंदाज करना पुरुषप्रधान प्रशासनकेलिए उचित होना ही था।

(६) उच्च तथा तंत्र शिक्षण विभाग द्वारा सारे विश्वविद्यालयोंमे कुलसचिव तथा राष्ट्रिय सेवा योजना पदाधिकारियोंको कार्यान्वयन हेतु निर्देश देना अपेक्षित था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।

सूचना अधिकार कानून के (under Right to Information Act 2005) अंतर्गत मिली जानकारी से पता चला की दहेज़ निषेध कानूनके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु विश्वविद्यालयके पदाधिकारियोंको सूचित करनेकी कोई जानकारी दफ्तरमें नहीं है।

(७) ऐसा भी अनुभव है की अधिकतर पुलिस अधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी, और शिक्षाके क्षेत्रमें कार्यरत दिग्गज व्यक्ति नहीं जानते की ऐसा भी कोई आदेश देनेवाला परिपत्रक जारी हुआ है। विधि क्षेत्र में कार्यरत पदाधिकारी भी नकारात्मक विचारधारा रखनेवाले और बेहद असंवेदनशील प्रतीत होते हैं।

इस स्थितिमें ६० साल बाद भी कानूनकी मदद से दहेज़ की कुप्रथा का उन्मूलन संभव नहीं। कानूनका डंडा या कानूनकी लाठी समाजकी मनोवृत्ति और विचारधारा में बदलाव लाना असंभव दिखाई देता है। भारतके प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरूजी के नेतृत्वमें तत्कालीन निर्वाचित लोकप्रतिनिधिओंके सहयोगसे दहेज़ निषेध कानून १९६१ में पारित किया गया था। इसमें तत्कालीन नेताओंकी दूरदृष्टि प्रतीत होती है। समाज कल्याणका एकमेव लक्ष्य सामने रखते हुए भारतीय महिलाओंकी जीवन सुरक्षा के लिए , परिवारोंमें सुख शांति बनी रहे इस प्रयोजनसे पारित किया गया यह कठोर कानून ६० साल पश्चात निष्फल होता दिखाई देता है, वजह है जनसहयोगकी कमी और राजनीतिक इच्छाशक्तिका अभाव !

आशा कुलकर्णी
महासचिव, दहेज़ विरोधी आंदोलन.
Email : antidowry498a@gmail.com

